



कार्यालय महाप्रबन्धक  
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-2, सरन स्टेट, पश्चिम बुधवारी छिन्दवाड़ा

क्रमांक /152/तक/म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.2/2020

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13/05/2020

प्रति,

वन मण्डल अधिकारी,  
पश्चिम छिन्दवाड़ा (सा.)  
वनमण्डल छिन्दवाड़ा

विषय:- छिन्दवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत रामपुर से चंदनिया कोयलवाड़ी मार्ग निर्माण/चौकीकरण हेतु 3.798 हेक्टर वन भूमि महाप्रबन्धक प्रधानमंत्री ग्राम विकास प्राधिकरण छिन्दवाड़ा को उपयोग पर देने बावत् ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 830 दिनांक 22.02.2020

—0—


उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है, इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 311 दिनांक 13.03.2020 के द्वारा एन.पी.व्ही.की राशि रुपये 3049794/- केम्पा मद में जमा करा दी गई है एवं सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

S.No.	Conditions of forest department	Compliance by UA
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Agreed
2	NPV: Net Present Value (NPV) amount of Rs. 3049794/- is to be paid for the 3.798 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency, as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2020, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 2020/199-FC (Pt.II) dated 18/09/2008, as well as letter no. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	Deposited.
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert committee, shall be charged by the State Government from the User agency. The user agency shall furnish an undertaking to this effect.	Agreed. Undertaking attached as Annexure 1.
4	No felling of trees shall be done.	Agreed.
5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal ( <a href="http://parivesh.nic.in/">http://parivesh.nic.in/</a> ).	Agreed.
6	The complete compliance of FRA, 2006 shall be ensured by the way of prescribed certificate from the concerned District Collector Chhindwara. This certificate should be uploaded on portal with compliance report.	Since it is pipeline laying in ROW, requested to exempt if required.
7	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (protection) Act, 1986, if applicable.	Agreed.
8	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	Agreed.
9	No labour camp shall be established on the forest land.	Agreed.

F:\Letter\7137 forest KML file\forest file.docx

10	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisional forest officer.	Agreed.
11	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	Agreed.
12	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	Agreed.
13	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior proposal of Govt. Of India.	Agreed.
14	Violation of any of these condition will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/11/2018.	Agreed.
15	Any other condition that the Ministry of Environmental, Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	Agreed.
16	No work shall be done during night.	Agreed.
17	The compliance report shall be uploaded on e-portal( <a href="http://parivesh.nic.in/">http://parivesh.nic.in/</a> )	Agreed.

अनुरोध है , कि कृपया औपचारिक अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

  
महाप्रबंधक

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रं.-2, छिन्दवाड़ा

पृ.क्रमांक 153/तक / म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. / 2020

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13/05/2020


प्रतिलिपि:- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
महाप्रबंधक

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रं.-2, छिन्दवाड़ा

**UNDERTAKING**

I, Manchit Rao Mahobe, in capacity of General Manager, M.P.R.R.D.A., Project Implementation Unit, Chhindwara, on behalf of M.P.R.R.D.A., do hereby undertake that M.P.R.R.D.A. will pay additional amount of the NPV of diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert committee.

  
General Manager  
MPRRDA PIU - 2,  
Chhindwawra



**कार्यालय महाप्रबंधक**  
**मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण**  
 परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-2, सरन सदन, सरन स्टेट छिन्दवाड़ा  
 Phone No.(07162) 244520, E-mail:- piu2chhindwara@hotmail.com

क्रमांक / 351 / तक. / म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. / 2020 छिन्दवाड़ा, दिनांक 19/03/2020  
 प्रति,

वनमंडलाधिकारी  
 पश्चिम छिंदवाड़ा(स)  
 वनमंडल छिंदवाड़ा

**विषय:-** छिन्दवाड़ा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत रामपुर से चंदनिया कोयलवाड़ी मार्ग निर्माण/चौड़ीकरण हेतु 3.798 हेक्टर वन भूमि महाप्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्राम विकास प्राधिकरण छिन्दवाड़ा को उपयोग पर देने बाबत।

- संदर्भ :-** 01. आपका पत्र क्रमांक 830 छिंदवाड़ा दिनांक 22.02.2020  
 02. भारत शासन पर्यावरण एवं वनमंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र. 6-एम.पी.वी. 022/2019-वी.एच.ओ./222 दिनांक 14.02.2020 .  
 03. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भूप्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक एफ 5/861/2019/2010-11/665 भोपाल दिनांक 17/02/2020

--0--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के द्वारा प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 1 से 23 का पालन प्रतिवेदन विन्दुवार निम्नानुसार है :-

स.क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
01	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
02	Forest land will be handed over to the user agency only after required non-forest land for the project is handed over by the User Agency.	न्यायालय कलेक्टर छिंदवाड़ा का पत्र क्रमांक 776 छिंदवाड़ा दि. 11.09.2018 में खसरा नंबर 209/1 रकबा 48.945 हे. मद में से 7.578 हे.का भूमि स्थानांतरण वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा सामान्य वनमंडल छिंदवाड़ा को वनीकरण कार्य हेतु हस्तांतरित की गई है। शर्त के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रुपये 7754469/- ई पोर्टल के माध्यम से केम्पा मद के खाते में यूटीआर नं. -52020031310006875 दि 12.03.2020 को कार्पोरेशन बैंक दिल्ली में ऑनलाईन जमा की गई है।
03	Compensatory afforestation.	

E:\Letter Ashish\Collector & Jila Panchyat\OtherDpt

a	Compensatory afforestation shall be taken up the Forest Department over 7.578 ha non-forest land (Khasra No. 209/1.Village Bathri. Tehsil Junnardev District Chhindwara) . As far as possible a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species shall be avoided.	वनविभाग से संबंधित है।
b	Total no. of saplings to planted shall not be less than nos 12,000 (7.578 Ha X 1584) in CA land. The composition of saplings (number species wise) to be planted shall be as per the National Forest Policy and Shall be recorded in plantation Journal.	वनविभाग से संबंधित है।
c	The standard size sapling (minimum height & minimum collar girth species wise) as approved by the State Govt. Shall be planted in the selected CA land.	वनविभाग से संबंधित है।
d	The height and collar girth (specie wise) shall be measured & recorded at the time of plantation and in November of Plantation year. Further, data of height collar girth and survival percentage (species wise) twice a year (April & November month) shall be recorded & records shall be maintained.	वनविभाग से संबंधित है।
e	All the live stumps & pollards upto 90 cm Girth shall be dressed from ground level for the purpose of regeneration & record shall be kept plantation journal.	वनविभाग से संबंधित है।
f	Plantation shall be taken up before end of 2021 monsoon.	वनविभाग से संबंधित है।
04	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of p..... pillars, if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the Project authority. The CA will be maintained for 10 year. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	वनविभाग द्वारा तैयार की गई वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना में प्राक्कलन अनुसार निर्धारित की गई राशि 8530000.00 रुपये में से राशि 7754469.00 रुपये ई पोर्टल के माध्यम में कैम्पा मद में जमा की गई एवं शेष पर्यवेक्षण शुल्क की राशि 775447.00 डी.डी. क्रमांक 226293 दि. 13.03.2020 से वनमण्डलाधिकारी परिचय छिन्दवाडा को पत्र क्रमांक 311 दि. 13.03.2020 को जमा की गई।

05	NPV :	
a	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 3.798 ha. Forest area to be diverted under the proposal from the user Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letter No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18.09.2003. as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and Chapter 3 of FCA Handbook 2019 in this regard.	NPV की राशि रुपये 3049794/- ई पोर्टल के माध्यम से केम्पा मद के खाते में ऑनलाईन जिसका यूटीआर नं. -52020031310006875 दि 12.03.2020 को जमा की गई है।
A	Additional amount of the NPV of diverted forest land. If nay, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble supreme court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	शर्त का पालन आवेदक विभाग म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पी.आई.यू. क्रमांक-02 छिंदवाड़ा के द्वारा किया जावेगा। आवेदक विभाग शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध हैं।
06	User Agency shall restrict the felling of trees upto 778 nos. in the diverted forest land and trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department. The cost of felling of trees shall be deposited by the user Agency with the State Forest Department.	वृक्षों को काटने की जरूरत पड़ने पर विदोहन व्यय की राशि वन विभाग को जमा की जावेगी।
07	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> ).	शर्त के पालन में राशि केम्पा मद में यूटीआर नं. -52020031310006875 दि 12.03.2020 को कार्पोरेशन बैंक दिल्ली में जमा की गई है।
08	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	मार्ग में वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों के लिये वन विभाग को पत्र लिखा गया है।
09	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	शर्त का पालन किया जावेगा।
10	User Agency shall provide suitable measures for free movement of wildlife in the around the forest area in accordance of Eco friendly measure to mitigate impacts of linear infrastructure on wildlife (2016)	Wildlife बफर जोन नहीं है , फिर भी आवश्यकता अनुसार शर्त का पालन किया जावेगा।

11	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provision of the Environmental (Protection) Act, 1986 if required.	जोन नहीं होने के कारण आवश्यकता नहीं है।
12	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government.	शर्त का पालन किया जावेगा।
13	No labour camp shall be established on the forest land.	वनक्षेत्र में मजदूरों के लिए कैंप नहीं लगाया जावेगा।
14	Sufficient firewood, preferably alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourers after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	शर्त का पालन किया जावेगा।
15	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Offices	शर्त का पालन किया जावेगा।
16	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	शर्त का पालन किया जावेगा।
17	The period of diversion under this approval shall be coterminous with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त का पालन किया जावेगा।
18	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	व्यवर्तित भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु नहीं किया जावेगा।
19	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Govt of India.	मार्ग का हस्तांतरण बिना अनुमति के अन्य विभाग को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा।
20	The user agency shall adhere to all rules, regulations, guidelines & acts enforced by State Govt. and Central Govt. for the proposal.	शर्त का पालन किया जावेगा।
21	Violation of any these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) act 1980 and action would be taken as per para 1.21 of FCA, 1980 Handbook 2019	शर्त का पालन किया जावेगा।

22	Any others condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	शर्त का पालन किया जावेगा ।
23	The complete compliance report for the conditions stipulated in this Stage – I approval letter shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in">https://parivesh.nic.in</a> ).	शर्त का पालन किया जावेगा ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

*Mohale*  
19/3/2020  
महाप्रबंधक

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक – 2, छिन्दवाड़ा

पृ. क्र <sup>352</sup> / तक. / म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा / 2020 छिन्दवाड़ा, दिनांक 19/03/2020  
प्रतिलिपि :-

01. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भूप्रबंध) सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
02. मुख्य महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. जबलपुर आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

*Mohale*  
19/3/2020  
महाप्रबंधक

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रं 2, छिन्दवाड़ा



कार्यालय महाप्रबंधक

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-2, सरन सदन, सरन स्टेट छिन्दवाड़ा

Phone No.(07162) 244520, E-mail:- piu2chhindwara@hotmail.com

**भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र. 6-एम.पी.बी.**

**022/2019-बी.एच.ओ./002 दिनांक 01.01.2020 में अधिरोपित  
निम्न शर्तों के पालन हेतु वचन पत्र**

**शर्त क्रमांक 01 :-** महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक - 2, छिन्दवाड़ा द्वारा अधिरोपित शर्त क्रमांक 01 के पालन हेतु वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा, शर्त के पालन हेतु वचनवद्ध है।

**शर्त क्रमांक 02 एवं 03 :-** महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक - 2, छिन्दवाड़ा, अधिरोपित शर्त क्रमांक 02 के पालन हेतु न्यायालय कलेक्टर छिंदवाड़ा का पत्र क्रमांक 776 छिंदवाड़ा दि. 11.09.2018 में खसरा नंबर 209/1 रकवा 48.945 हे. में से 7.578 हे. का भूमि स्थानांतरण वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिंदवाड़ा सामान्य वनमंडल छिंदवाड़ा को वनीकरण कार्य हेतु हस्तांतरित की गई है। शर्त के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रुपये 7754469/- ई पोर्टल के माध्यम से केम्पा मद के खाते में ऑनलाईन जमा की गई है। जिसका यूटीआर नं. -52020031310006875 दि 12.03.2020 हैं, शर्त के पालन हेतु वचनवद्ध है।

**शर्त क्रमांक 05-a :-** महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक - 2, छिन्दवाड़ा, अधिरोपित शर्त क्रमांक 05-a के पालन हेतु NPV की राशि रुपये 3049794/- ई पोर्टल के माध्यम से केम्पा मद के खाते में ऑनलाईन जमा की गई है। जिसका यूटीआर नं. 52020031310006875 दि 12.03.2020 हैं, शर्त के पालन हेतु वचनवद्ध है।

**शर्त क्रमांक 05-A :-** महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक - 2, छिन्दवाड़ा, अधिरोपित शर्त क्रमांक 05-A के पालन हेतु शर्त का पालन आवेदक विभाग म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पी.आई.यू. क्रमांक-02 छिंदवाड़ा के द्वारा किया जावेगा। शर्त के पालन हेतु वचनवद्ध है।

**शर्त क्रमांक 06 :-** महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक - 2, छिन्दवाड़ा, अधिरोपित शर्त क्रमांक 06 के पालन हेतु वृक्षों को काटने की जरूरत पड़ने पर विदोहन . व्यय की राशि वन विभाग को जमा की जावेगी, शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।

**शर्त क्रमांक 07 :-** महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक - 2, छिन्दवाड़ा, अधिरोपित शर्त क्रमांक 07 के पालन हेतु शर्त के पालन में राशि केम्पा मद में यूटीआर नं. -52020031310006875 दि12.03.2020 को कार्पोरेशन बैंक दिल्ली में जमा की गई है, शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।

**शर्त क्रमांक 08 :-** महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक - 2, छिन्दवाड़ा, अधिरोपित शर्त क्रमांक 08 के पालन हेतु मार्ग में वृक्षारोपण किये जाने हेतु वचनबद्ध है।

**शर्त क्रमांक 09,13,14,15,16,17 :-** महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक - 2, छिन्दवाड़ा द्वारा अधिरोपित शर्त क्रमांक 09,13,14,15,16,17 के पालन हेतु वचनबद्ध है।

**शर्त क्रमांक 18 :-** महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक - 2, छिन्दवाड़ा, अधिरोपित शर्त क्रमांक 18 के पालन हेतु व्यवर्तित भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु नहीं किया जावेगा , शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।

**शर्त क्रमांक 19 :-** महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक - 2, छिन्दवाड़ा, अधिरोपित शर्त क्रमांक 19 के पालन हेतु मार्ग का हस्तांतरण बिना अनुमति के अन्य विभाग को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा, शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध है।

**शर्त क्रमांक 20,21,22,23 :-** महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक - 2, छिन्दवाड़ा, अधिरोपित शर्त क्रमांक 20,21,22,23 के पालन हेतु वचनबद्ध है।

*M. P. Singh*  
19/3/2020  
महाप्रबंधक

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक - 2, छिन्दवाड़ा